

तारीख
हुवम

23/09/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी (अप) अप्रार्थी से 01 बाबजूद रजिस्टर्ड तारीख इफा स्थित नहीं है। अन्तः अप्रार्थी से 01 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अप्रमल में लाई जाती है। प्रा. पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी। प्रा. पत्र व पत्रावली का असलोकन किया गया। प्रार्थी वकील बहस पर मजबूत करने एवं पत्रावली के असलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 136 में एक रेकॉर्ड एन्ट्री इन्डॉज फुल स्टी रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है विरुद्ध निर्णय प्रमक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बांही कुई जेपत्तना हेतु तहसीलदारी एवं पत्रावली फुल नुम्बर होत्र कार तहसील दाखिल दफ्तर हो।

23/9/23

हुवम अधिकारी
(नीचे की ओर)

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बाँदीकुई

प्रकरण संख्या:- 66 / 2025

प्रकरण दायर दिनांक:-16.06.2025

प्रकरण निर्णय दिनांक:-23.09.2025

उनवान

1. रतनसिंह पुत्र छुट्टन जाति गुर्जर निवासी दुब्बी तहसील बाँदीकुई जिला दौसा।

बनाम

1. तहसीलदार बाँदीकुई जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बाँदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लै0 रे0 एक्ट इन्द्राज दुरुस्ती रिकॉर्ड

निर्णय दिनांक:-23.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी ग्राम दुब्बी तहसील बाँदीकुई जिला दौसा के भूमि खाता संख्या नया 89 पुराना 33 के आराजी खसरा नंबर 647/888 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 26 व पुराना 216 के खसरा नंबर 108/925 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 175 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 285/858 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 554 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 555 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 558 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 559 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 567 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 640 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 641 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 643 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 644 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 733 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 95/885 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 3.97 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 207 व पुराना 204 के खसरा नंबर 835 रकबा 0.59 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 20 व पुराना 21 के खसरा नंबर 586 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 587 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 589 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 590 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 19 व पुराना 20 के खसरा नंबर 1.22 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 19 व पुराना 20 के खसरा नंबर 285 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 285/889 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 286 रकबा 0.23 हैक्टेयर खसरा नंबर 303 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 304 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 307 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 308 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 309 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 310 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 311 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 312 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 313 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 316 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 317 रकबा 0.37 हैक्टेयर, कुल किता 14 कुल

अथ

रकबा 3.64 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 18 व पुराना 18 के खसरा नंबर 569/886 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 17 व पुराना 15 के खसरा नंबर 181/886 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182/863 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 16 व पुराना 17 के खसरा नंबर 642 रकबा 0.12 हैक्टेयर खसरा नंबर 648 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर में स्थित है। जो प्रार्थी की कब्जे काशत की खातेदारी भूमि है। जिसमें कशिसान के आधार से नामान्तरण खातेदारी में प्रार्थी का गलत नाम रामरतनसिंह पुत्र छुट्टन दर्ज हो गया जबकि अन्य जमाबंदी खाता संख्या नया 43, 213, 15, 168 वाके रामा दुब्बी तहसील बांदीकुई जिला दौसा में प्रार्थी का सही नाम दस्तावेजों के आधार से रतन सिंह पुत्र छुट्टन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि सही है इसलिये प्रार्थी का नाम खाता संख्या 89, 26, 207, 20, 19, 18, 17, 16 वाके रामा दुब्बी तहसील बांदीकुई जिला दौसा में रामरतनसिंह पुत्र छुट्टन हजफ किया जाकर दस्तावेजों व जमाबंदी के आधार से सही नाम रतनसिंह पुत्र छुट्टन दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में खाता संख्या नया 89 में प्रार्थी का हिस्सा 1/40 व खाता संख्या नया 26 में प्रार्थी का हिस्सा 1/20 व खाता संख्या नया 207 में प्रार्थी का हिस्सा 1/4 एवं खाता संख्या नया 20 में प्रार्थी का हिस्सा 1/20 एवं खाता संख्या नया 19 में प्रार्थी का हिस्सा 3/80 एवं खाता संख्या नया 18 में प्रार्थी का हिस्सा 1/40 एवं खाता संख्या नया 17 में प्रार्थी का हिस्सा 1/20 एवं खाता संख्या नया 16 में प्रार्थी का हिस्सा 1/40 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का गलत नाम रामरतनसिंह पुत्र छुट्टन दर्ज हो गया जिसे दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी के खाता संख्या नया 43, 213, 15, 168 एवं दस्तावेजो पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व अन्य दस्तावेजो के आधार पर उक्त खाता संख्या 89, 26, 207, 20, 19, 18, 17, 16 वाके रामा दुब्बी तहसील बांदीकुई जिला दौसा में रामरतनसिंह पुत्र छुट्टन हजफ किया जाकर सही नाम रतनसिंह पुत्र छुट्टन दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी ने दिनांक 09.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 से जब राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि खाता संख्या 89, 26, 207, 20, 19, 18, 17, 16 वाके रामा दुब्बी तहसील बांदीकुई जिला दौसा में दर्ज गलत नाम रामरतनसिंह पुत्र छुट्टन हजफ किया जाकर खाता संख्या 43, 213, 15, 168 एवं दस्तावेजों पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व अन्य दस्तावेजों के आधार पर दुरुस्त करने की कही तो अप्रार्थी संख्या 01 ने कहा कि न्यायालय से आदेश कराकर लाओ। इसलिये प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर बाद तहकीकात प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन किया कि-

अप्रार्थी संख्या 01 को इस अमर का आदेश जारी किया जावे कि ग्राम दुब्बी तहसील बांदीकुई जिला दौसा के भूमि खाता संख्या नया 89 पुराना 33 के आराजी खसरा नंबर 647/888 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 26 व पुराना 216 के खसरा नंबर 108/925 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 175 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 285/858 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 554 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 555 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 558 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 559 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 567 रकबा 0.07 हैक्टेयर

अथ

हैक्टेयर, खसरा नंबर 640 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 641 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 643 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 644 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 733 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 95/885 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 3.97 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 207 व पुराना 204 के खसरा नंबर 835 रकबा 0.59 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 20 व पुराना 21 के खसरा नंबर 586 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 587 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 589 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 590 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 19 व पुराना 20 के खसरा नंबर 1.22 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 19 व पुराना 20 के खसरा नंबर 285 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 285/889 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 286 रकबा 0.23 हैक्टेयर खसरा नंबर 303 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 304 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 307 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 308 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 309 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 310 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 311 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 312 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 313 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 316 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 317 रकबा 0.37 हैक्टेयर, कुल किता 14 कुल रकबा 3.64 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 18 व पुराना 18 के खसरा नंबर 569/890 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 17 व पुराना 15 के खसरा नंबर 181/886 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 182/863 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 16 व पुराना 17 के खसरा नंबर 642 रकबा 0.12 हैक्टेयर खसरा नंबर 648 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर में स्थित है, में प्रार्थी का गलत नाम रामरतनसिंह प्रार्थी के पिता छुट्टन की मृत्यु के बाद जब वारिसान के आधार पर खातेदारी में नाम दर्ज हुआ तब उक्त खातों में गलत नाम रामरतनसिंह पुत्र छुट्टन दर्ज हो गया जिसे हजफ किया जाकर प्रार्थी का सही नाम दस्तावेजों के आधार से एवं पूर्व जमाबंदी खाते 43, 213, 15, 168 एवं दस्तावेजों पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व अन्य दस्तावेजों के आधार पर सही नाम रतनसिंह पुत्र छुट्टन दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अन्य दादरसी जो करीने इंसाफन बहक प्रार्थी हो अता फरमाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्जे नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण में पैरोकार सरकार/तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थी वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2074-77 भूमि खाता संख्या 89, 26, 207, 20, 19, 18, 17, 16 वाके रामा दुब्बी तहसील बांदीकुई जिला दौसा में रामरतनसिंह पुत्र छुट्टन देह खातेदार दर्ज है। संलग्न दस्तावेजात पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं आयुष्मान कार्ड में प्रार्थी का नाम रतनसिंह पुत्र छुट्टन दर्ज है। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 7028 दिनांक 18.07.2025 के अनुसार ग्राम दुब्बी की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 89, 26, 207, 20, 19, 18, 17, 16 में खातेदार का नाम रामरतन सिंह पुत्र छुट्टन जाति गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड है जबकि खाता संख्या 43, 213, 15, 168 में खातेदार का नाम रतनसिंह पुत्र छुट्टन जाति गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड है। शेष अंकन बदस्तूर है। खातेदार का रामरतनसिंह नाम घरेलु बोलता उपनाम रहा है। जो पिता की

अपे

मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरण खोलते समय कुछ खातों में रामरतनसिंह व कुछ खातों में रतनसिंह पुत्र छुट्टन हो गया है। उपरिष्ठित व्यक्तियों ने अवगत करवाया कि रामरतनसिंह व रतनसिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। प्रार्थी खातेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज पेन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम रतनसिंह पुत्र छुट्टन दर्ज है। ग्राम दुब्बी की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 89, 26, 207, 20, 19, 18, 17, 16 में खातेदार का नाम रामरतनसिंह पुत्र छुट्टन जाति गुर्जर के बजाय खातेदार का नाम रतनसिंह पुत्र छुट्टन जाति गुर्जर करने बाबत रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का बोलता नाम रामरतनसिंह सहवन से दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम रतनसिंह है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम दुब्बी तहसील बांदीकुई जिला दौसा स्थित भूमि खाता संख्या नया 89 पुराना 33 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 26 व पुराना 216 कुल कित्ता 15 कुल रकबा 3.97 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 207 व पुराना 204 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 20 व पुराना 21 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 19 व पुराना 20 कुल कित्ता 14 कुल रकबा 3.64 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 18 व पुराना 18 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 17 व पुराना 15 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 16 व पुराना 17 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज नाम रामरतनसिंह पुत्र छुट्टन जाति गुर्जर को हजफ किया जाकर प्रार्थी का सही नाम रतनसिंह पुत्र छुट्टन जाति गुर्जर दर्ज किये जावें। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सुनाया एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

रामसिंह राजावत

(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

बांदीकुई (दौसा)